भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 28 JAN 2013 P 687621

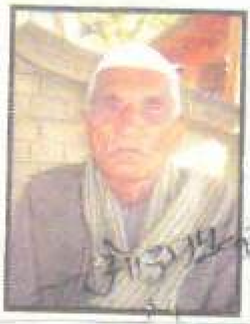
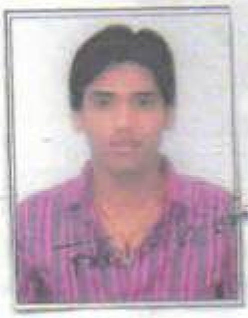
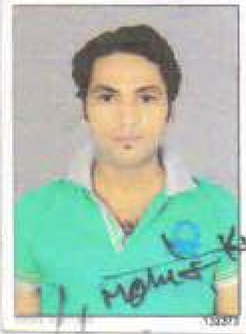

ट्रस्ट डीड

यह विलेख आज दिनांक 14-02-2013 ई0 को ओमप्रकाश पुत्र श्री होडल सिंह निवासी- नगला अवाजी, पोस्ट- थानूमई, तहसील जसराना, जिला फिरोजाबाद द्वारा निष्पादित किया गया है।

1. ***ट्रस्ट का नाम***- श्री विनायक चेरिटेबल ट्रस्ट
2. ***ट्रस्ट का पता***- मकान नं0 702, गंगानगर, एटा चौराहा, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद
   शाखा कार्यालय- ट्रस्ट की शाखायें देश के अन्य स्थानों पर स्थापित की जा सकती है।
3. ***ट्रस्ट में लगाया गया धन***- ट्रस्ट में लगाया गया धन 5,000/- पांच हजार रूपये नगद धनराशि ओमप्रकाश पुत्र श्री होडल सिंह द्वारा ट्रस्ट के लिए समर्पित की गयी है।
   भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार जो सम्पत्ति के स्वामित्व का आबद्ध होता है जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है। अथवा घोषित एवं स्वीकार करता है। सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ को स्वीकार करेगा।
4. ***ट्रस्ट के तत्व***- मुख्य ट्रस्टियों द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है। ट्रस्ट एक प्रकार का अभार है। आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है। ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है। और प्रत्येक ट्रस्ट के लिए हिताधिकारियों का होना आवश्यक है ट्रस्ट का रचयिता अपनी

क्रमशः......2 पर

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

DIA JUDICIAL

उत्तर प्रदेश ADESH

AK 707022

(2)

सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आबद्ध करेगा। इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे-

1. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री होडल सिंह
   निवासी–न0 अवाजी, पोस्ट– थानूमई, तहसील– जसराना मुख्य ट्रस्टीकर्ता
2. श्री मोहित कुमार पुत्र श्री यतेन्द्र सिंह
   निवासी–न0 अवाजी, पोस्ट– थानूमई, तहसील– जसराना ट्रस्टी
3. श्री मोहित कुमार पुत्र श्री कमलेश कुमार
   निवासी– म0नं0 702, गंगानगर, शिकोहाबाद ट्रस्टी
4. श्री कौशलेन्द्र कुमार पुत्र श्री कमलेश कुमार
   निवासी– म0नं0 702, गंगानगर, शिकोहाबाद ट्रस्टी
5. श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री गजराज सिंह
   निवासी– म0नं0 702, गंगानगर, शिकोहाबाद ट्रस्टी
6. श्री निवेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश
   निवासी–न0 अवाजी, पोस्ट– थानूमई, तहसील– जसराना ट्रस्टी

5. ***ट्रस्ट के उद्देश्य-***
   1. युवक–युवतियों को उच्च तकनीकी एवं रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करना।
   2. समान उद्देश्य वाली संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना एवं उनकी सहायता करना।
   3. मानव कल्याण हेतु जनहित में कार्य करना।

क्रमशः......3 पर

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AK 707023

4. जनता में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना तथा विद्यालयों/ उच्च शिक्षा संस्थाओं/डिग्री कालेज/इन्जीनियरिंग/तकनीकी/स्वास्थ्य सेवा एवं कृषि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, कम्प्यूटर युक्त आधुनिक शिक्षा पद्धति से करना उनका प्रबन्धन एवं संचालन करना।
5. समय-समय पर अन्य समाज सेवा जनहितकारी कार्य करना।
6. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं से, बैंकों से अथवा निजी व्यक्तियों/ जनप्रतिनिधियों से अनुदान, दान अथवा ऋण प्राप्त करना।
7. समाज के प्रत्येक वर्ग के शैक्षिक उन्नय हेतु विशेष प्रयास करना।
8. देश व विश्व के कोने-कोने में जाकर भारतीय संस्कृति कला का प्रचार प्रसार करना एवं पौराणिक कथाओं के एवं सत्संगों के माध्यम से समाज के सर्वांगीण सुधार एवं सद्भावना विकसित करना।
9. ट्रस्ट के विकास हेतु निर्धन, अनाथ एवं निर्बल वर्ग के नागरिकों वृद्धजनों, विधवा/ अनाथ महिलाओं, निराश्रित अनाथ बच्चों, अपंग लोगों के कल्याण हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों, मंत्रालयों एवं अन्य संस्थाओं, संगठनों के वित्तीय सहयोग/अनुदान/ऋण से चलायी जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित कर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना।
10. ट्रस्ट के द्वारा देश के अन्य भागों में पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, खेलने का मैदान आदि का निर्माण कराना।

6. ***ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र***- सम्पूर्ण भारत वर्ष

7. ***ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य***-

1. ट्रस्ट में जन सामान्य द्वारा एवं ट्रस्टियों द्वारा दिया गया धन एवं दान आदि की धनराशि ट्रस्ट

क्रमशः......4 पर

mohit kumar

पचास रुपये

रु.50

भारत

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 707024

के द्वारा खोले गये खातों (किन्हीं राष्ट्रीयकृत बैंकों) में जमा की जायेगी जो जनहित तथा उसके उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च की जायेगी। उक्त धनराशि के लेनदेन करने (बैंक खातों के संचालन के लिए) मुख्य ट्रस्टी (प्रबन्धक/सचिव) के हस्ताक्षर से ही बैंक से धन निकाला जायेगा। तथा ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्ति के क्रय–बिक्रय का अधिकार पूर्णतः सचिव में निहित होगा।

2. ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी भी संस्था की चल व अचल सम्पत्ति एवं उसका संचालन इसी ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।
3. यदि किसी कारणवश ट्रस्ट द्वारा खोली गयी कोई भी संस्था समाप्त होती है तो ऐसी स्थिति में संस्था की चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट में स्वतः निहित हो जायेगी।

8. ***ट्रस्टियों की नियुक्ति***- सभी ट्रस्टी आजीवन इस ट्रस्ट के सदस्य रहेंगे किसी सदस्य की मृत्यु के उपरान्त उनके द्वारा नामित अथवा उसका उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होगें। उत्तराधिकारी में ट्रस्टी का सबसे बड़ा पुत्र और पुत्र न होने पर सबसे बड़ी पुत्री ट्रस्टी होंगे।

9. ***संचालित संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों के नामित सदस्य***- ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य संस्थाओं जो ट्रस्ट द्वारा संचालित होंगे की प्रबन्ध समितियों का गठन दोनों मुख्यट्रस्टी एवं अन्य 4 ट्रस्टी मिलकर करेंगे। यदि मुख्य ट्रस्टी व ट्रस्टियों द्वारा प्रबन्ध समिति पूर्ण नहीं होती है तो मुख्य ट्रस्टी एवं ट्रस्टी मिलकर अन्य बाहरी सदस्यों को प्रबन्ध समिति हेतु नामित करेंगे।

10. ***ट्रस्ट प्रमुख***- ओमप्रकाश सिंह पुत्र श्री होडल सिंह इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे तथा मोहित कुमार पुत्र श्री यतेन्द्र सिंह इस ट्रस्ट के प्रबन्धक होंगे तथा मोहित कुमार पुत्र श्री कमलेश कुमार इस ट्रस्ट के सचिव होंगे। इनकी मृत्योपरान्त इनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा इनका उत्तराधिकारी ही पदाधिकारी/प्रमुखट्रस्टी/मुख्यट्रस्टी होंगे। उत्तराधिकारी में प्रमुख ट्रस्टी का सबसे बड़ा पुत्र और पुत्र न होने पर सबसे बड़ी पुत्री मुख्यट्रस्टी/ पदाधिकारी/प्रमुखट्रस्टी होगी।

क्रमशः......5 पर

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 707025

11. ***ट्रस्टियों की संख्या***- ट्रस्टियों की संख्या मुख्यट्रस्टी को मिलकर 6 होगी, जिसमें वर्तमान में मुख्यट्रस्टी सहित निम्न ट्रस्टी होंगे।

1.	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री होडल सिंह निवासी–न0 अवाजी, पोस्ट– थानूमई, तहसील– जसराना	मुख्य ट्रस्टीकर्ता (अध्यक्ष)
2.	श्री मोहित कुमार पुत्र श्री यतेन्द्र सिंह निवासी–न0 अवाजी, पोस्ट– थानूमई, तहसील– जसराना	ट्रस्टी (प्रबन्धक)
3.	श्री मोहित कुमार पुत्र श्री कमलेश कुमार निवासी– म0नं0 702, गंगानगर, शिकोहाबाद	ट्रस्टी (सचिव)
4.	श्री कौशलेन्द्र कुमार पुत्र श्री कमलेश कुमार निवासी– म0नं0 702, गंगानगर, शिकोहाबाद	ट्रस्टी (कोषाध्यक्ष)
5.	श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री गजराज सिंह निवासी– म0नं0 702, गंगानगर, शिकोहाबाद	ट्रस्टी (सदस्य)
6.	श्री निवेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी–न0 अवाजी, पोस्ट– थानूमई, तहसील– जसराना	ट्रस्टी (सदस्य)

12. ***ट्रस्ट की बैठक***- ट्रस्ट की साधारण बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी जिसकी सूचना समस्त ट्रस्टियों को एक सप्ताह (सात दिन) पूर्व दी जायेगी किन्तु विशेष बैठक किसी भी समय 24 घण्टे पहले सूचना देकर बुलाई जा सकती है। बैठक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध की सहमति से अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक में से कोई भी बुला सकता है।

13. ***गणपूर्ति***- बैठक में समस्त ट्रस्टियों के 2/3 भाग ट्रस्टियों का होना अनिवार्य है।

14. ***ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य***-

1. अध्यक्ष–

(1) ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष ट्रस्ट की प्रत्येक सभा में एवं प्रमुख स्थानों पर सभा की अध्यक्षता करेंगे।

क्रमशः......6 पर

ओउ प्रकाश

Mohit Kumar

Mohit Kumar

कौशलेन्द्र कुमार

कमलेश कुमार

Nivendra

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18AA 103532

(2) मीटिंग बुलाने के लिए सचिव को निर्देश देना।

अध्यक्ष/सचिव–

(1) ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना तथा उनकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना व प्रतिनिधित्व करना।

(2) ट्रस्ट के कार्यक्रमों की रुपरेखा तैयार करना व उनका प्रचार–प्रसार करना।

(3) ट्रस्ट के हित में दान, चन्दा, प्राप्त करना तथा संस्था कोष में जमा करना, ट्रस्ट की चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं देखभाल करना।

(4) दान अनुदान चन्दा प्राप्त करना व उसकी रसीद देना ट्रस्ट के सभी अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण करना।

(5) संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैकों, ट्रस्टी, बन्धक विलेखों, बिल वाउचर पर हस्ताक्षर करना।

(6) ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदायती कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष की अनुमति से एवं वादों की पैरवी करना।

15. ***लेखा परीक्षक***- ट्रस्ट के मुख्यट्रस्टी के मार्ग दर्शन एवं सहमति से किसी भी ट्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का लेखा परीक्षक नियुक्त किया जा सकेगा एवं मुख्यट्रस्टी द्वारा अनावश्यक समझे जाने पर हटाया जा सकेगा। ट्रस्टी प्रमुख के मार्ग दर्शन एवं सहमति से ही ट्रस्ट के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु धन संग्रह व्यय किया जा सकेगा। लेखा परीक्षक ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय व्यय का हिसाब किताब का बराबर लेखा जोखा रखेगा एवं नियमित रूप से कानून अनुसार आडिट आदि करवायेगा। संस्था के आय–व्यय वही पत्रों की सत्र समाप्ति पर जांच हेतु मुख्यट्रस्टी के समक्ष प्रस्तुत करना।

16. ***संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन***-

1. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं के लिए प्रबन्ध समिति का चुनाव इन्हीं ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये मुख्यट्रस्टी गण चुनाव अधिकारी की नियुक्त करेंगे।

क्रमशः......7 पर

बीस रुपये

रु.20

भारत

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18AA 103533

2. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/महाविद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों के अधिकार कर्तव्य निर्धारित प्रबन्धकीय योजना (उच्च शिक्षा) के अनुरूप होगे।
3. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों के संचालन के लिए प्रबन्ध समिति का गठन मुख्यट्रस्टी और ट्रस्टी मिलकर करेंगे तथा यदि प्रबन्ध समिति पूर्ण नहीं होती है तो मुख्य ट्रस्टी व ट्रस्टी मिलकर अन्य बाहरी सदस्यों को प्रबन्ध समिति हेतु नामित करेंगे।
4. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय में निम्न पदाधिकारी व सदस्य होंगे।

(1) अध्यक्ष	एक
(2) प्रबन्धक	एक
(3) सचिव	एक
(4) कोषाध्यक्ष	एक
(5) लेखा परीक्षक/आडीटर	एक
(6) सदस्य	

उपरोक्त ट्रस्ट का गठन दिनांक 13-02-2013 को साधारण जनता के हितों व लाभों के लिए किया गया है ट्रस्ट द्वारा मुख्य रूप से शिक्षा संस्थानों/डिग्री कालेजों का संचालन किया जाना, वृद्धों, निर्बलों, असहायों, विकलांगों, महिलाओं व अनाथ बच्चों की सहायता करना, रोगी आदि रोज के निवारण हेतु तत्परता दिखाना व चिकित्सालयों की स्थापना करना व ट्रस्ट सम्पत्तियों व भवनों का जीर्णद्वारा करने, निर्धन, कन्याओं के विवाह आदि करवाना व यथा समय निर्धनों को दान एवं समय-समय पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराना आदि उपरोक्त ट्रस्ट का उद्देश्य होगा। ट्रस्ट के पास कोई निजी सम्पत्ति नहीं है व ट्रस्ट का कार्यालय निजी सम्पत्ति नहीं है।

अतः यह ट्रस्ट डीड मुख्यट्रस्टियों द्वारा राजी व खुशी से बिना वहकाये व सिखाये व बिना किसी नाजायज दबाव के अपने पूर्ण होश हवाश में परिवारीजनों से सलाह मशवरा करके लिख दिया ताकि

क्रमशः......8 पर

Mohit Kumar

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

IA NON J AL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AB 329511

(8)

सनद रहे और समय पर काम आवे। रजिस्टर्ड तारीख 14-02-2013 ई0। मसौदाकर्ता- राकेश बाबू, दस्तावेज लेखक, तहसील जसराना।

ओउम प्रकाश Mohit Kumar Mohit Kumar

गवाह- अशोक कुमार पुत्र श्री जगत सिंह
निवासी- मुस्तफाबाद रोड, शिकोहाबाद

गवाह- शोवेन्द्र कुमार पुत्र श्री सत्यप्रकाश सिंह
निवासी- मधीपुर, पोस्ट पैढ़त, तहसील जसराना

दस्तावेज लेखक-राकेश बाबू यादव
अनुज्ञप्ति सं०-29 लिखाई फीस
हस्ताक्षर ---
14.2.13